प्रेषक,

संख्या–1523बी / क0नि0–6–2017–1(बी) / 2017

श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता / आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त / राजस्व / कृषि / सूचना, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ: दिनांक 12 अक्टूबर, 2017

विषयः प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के एनपीए में वर्गीकृत फसल ऋण के सम्बन्ध में एनपीए समाधान योजना।

महोदय,

प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु शासनादेश संख्या 540बी / क0नि0–6–2017–01(बी) / 2017, दिनांक 24 जून, 2017 द्वारा 'फसल ऋण मोचन योजना' निर्गत की गयी थी जिसमें एनपीए में वर्गीकृत फसल ऋणों हेतु पृथक् से योजना लाये जाने का उल्लेख है। तत्क्रम में 'एनपीए समाधान योजना' लायी गयी है। यह योजना मुख्य रूप से सहकारी बैंकों के एनपीए से संबंधित है। यह योजना उन लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए है जिनके ऋण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त फसल ऋण दिनांक 31 मार्च, 2016 या इससे पूर्व एनपीए के रूप में वर्गीकृत हैं। इस योजना के अनुसार सहकारी बैंकों द्वारा कार्यवाही की जाएगी तथा अन्य ऋण प्रदाता संस्थाओं को भी यह योजना स्वीकार किए जाने के लिए प्रदत्त की जाएगी। उक्त योजना में मुख्य रूप से निम्न प्राविधान हैं:–

(1) एनपीए समाधान योजना में सम्मिलित होने हेतु ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा अपने सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर योजना में विहित प्रकियानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

(2) इस योजना के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार अप्राप्त ब्याज (unrealised interest) तथा एनपीए घोषित किये जाने की तिथि से दिनांक 31 मार्च, 2017 तक खाते में प्राप्त किसी भी वसूली / क्रेडिट प्रविष्टि, जो नकदी या हस्तांतरण से प्राप्त है, को घटा दिया गया है, को प्रासंगिक धनराशि (Relevant amount) माना जायेगा। प्रासंगिक धनराशि में से प्रासंगिक

( मोहन चन्द्र पन्त )
निजी सचिव
प्रमुख सचिव
वित्त एवं वित्त आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

( एम0 पी0 अग्रवाल )
सचिव
वित्त विभाग
उ0 प्र0 शासन।

Scanned by CamScanner

धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि को घटाते शेष 75 प्रतिशत प्रासंगिक धनराशि को योजनान्तर्गत अर्ह धनराशि (रू0 1.00 लाख की सीमा तक) मानते हुये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) दिनांक 31 मार्च, 2016 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत फसल ऋण सम्बन्धी खातों के लिए वकाया की गणना करते समय एनपीए घोषित किए जाने की तिथि पर वकाया धनराशि में से एनपीए में वर्गीकृत ऋण खाते में अर्ह धनराशि एक लाख रुपये से अधिक होने की दशा में रू0 1.00 लाख से अधिक अतिरिक्त धनराशि हेतु संबंधित ऋणी किसान एवं संबंधित बैंक एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के अन्तर्गत समझौता कर सकते हैं। ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा उक्त ऋणी किसान का संबधित खाता बंद कर दिये जाने की दशा में एक लाख रूपये से अधिक की समस्त धनराशि एनपीए समाधान योजना के अन्तर्गत संबंधित किसान द्वारा ऋण खाते में जमा की जाएगी। इसके उपरान्त ही सरकार द्वारा शेष अर्ह धनराशि की सीमा तक ऋण मोचन प्रदान किया जायेगा। ऋण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त डिजिटली हस्ताक्षरित डाटा को कृषि निदेशक द्वारा जिला स्तरीय समितियों को प्रेषित किए जाने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर संबंधित किसान द्वारा ऋण खाते में उक्त एक लाख रुपये से अधिक की धनराशि जमा करने के उपरान्त ही सरकार द्वारा शेष अर्ह धनराशि की सीमा तक ऋण मोचन प्रदान किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति में उक्त 45 दिन की अवधि को जिला स्तरीय समिति द्वारा कारण का उल्लेख करते हुए अगले 30 दिनों तक बढ़ाया जा सकेगा।

(4) यदि संबंधित ऋणी किसान द्वारा रू0 1.00 लाख से अधिक की उपरोक्त अर्ह धनराशि उपरोक्त प्रस्तर–(3) में निर्धारित अवधि के अन्दर अपने ऋण खाते में जमा नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में शेष रू0 एक लाख से अधिक की अर्ह धनराशि को संबंधित बैंक द्वारा कृषक की सहमति से नियमानुसार मध्यकालिक सावधि ऋण (MTL) में परिवर्तित कर दिया जायेगा। यदि बैंक द्वारा उक्त खाते को बैंक के नियमानुसार निष्पादक आस्ति (Performing asset) में वर्गीकृत कर नियमित आहरण अनुमन्य किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा रू0 1.00 लाख उक्त खाते हेतु अवमुक्त किया जायेगा।

(5) सरकार द्वारा रु0 1.00 लाख की सीमा तक अर्ह धनराशि बैंक को इस शर्त के साथ प्रदान की जाएगी कि वह कृषक को नये आहरण हेतु अनुमन्य करेगा।

(6) योजना में पात्रता–मानदण्ड, अनाच्छादित ऋण, हितधारकों यथा राज्य डाटा केन्द्र/एनआईसी, ऋण–प्रदाता संस्थाएं, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, जिला/मण्डल स्तरीय समितियों की भूमिका एवं दायित्व वर्णित हैं, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) एनपीए समाधान योजना के कियान्वयन हेतु कृषि विभाग नोडल विभाग होगा और योजना में वर्णित अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा।



Scanned by CamScanner

(8) लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु एनपीए समाधान योजना के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा कृषि विभाग के बजट में पूर्व में ही की जा चुकी है।

2. अतएव उपरोक्त 'एनपीए समाधान योजना' की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना में विहित मानदण्डों एवं वर्णित कियान्वयन प्रकिया के अनुसार अविलम्ब शुरू किया जाये जिससे योजना के उद्देश्यों को नियत समयावधि में प्राप्त किया जा सके।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1523 (1)/क0नि0–6–2017–01(बी)/2017, दिनांक 12 अक्टूबर, 2017।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को योजना की प्रतिलिपि सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (श्री मुकेश मित्तल)।
3. विशेष सचिव मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. विशेष सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन (श्री नील रतन)।
6. विशेष सचिव, गोपन अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
7. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
(सी0एल0 गुप्ता)
संयुक्त सचिव।



Scanned by CamScanner